आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
26.7.2019	न्यायालय उपायुक्त –सह– जिला दंडाधिकारी, गढ़वा विविध वाद सं0–08/2000–2001 राज्य बनाम मेसर्स ककरिया टी कम्पनी **आदेश** यह वाद आरक्षी अधीक्षक गढ़वा से प्राप्त पत्र पर प्रारम्भ किया गया है । आरक्षी अधीक्षक गढ़वा द्वारा पत्रांक 740 सी0आर0 दिनांक 30.5.2000 के साथ थाना प्रभारी गढ़वा का प्रतिवेदन एवं जब्ती सूची संलग्न कर भेजते हुए ट्रक नं0 एम0पी0–09 डी 6177 एवं उस पर लदे अवैध देशी अग्रेजी शराब को उत्पाद अधिनियम की धारा 67 ए के अंतर्गत राजसात की कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया गया है । उक्त प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार जब्त ट्रक एवं सामग्री के विरूद्ध गढ़वा थाना में थाना काण्ड संख्या 89/2000 दिनांक 15.5.2000 दर्ज है । वाद का विषय वस्तु एवं ट्रक जिसका नं0 MP-09-D 6177 एवं उस पर लदा सामग्री यथा– BAGPIPER Whisky 100 (एक सौ) कार्टून 24X375 ml, Garwew's कम्पनी का GOLD RIBAND Whisky 90 (नब्बे) कार्टून 48X180 ml का, Officer Choice Prestiqe Whisky 190 (एक सौ नब्बे) कार्टून 48X180 ml का, Director Special whisky 193 कार्टून 48X180 ml का, BAG PIPER WHISKY (एक सौ) कार्टून 48x180 ml का एवं N0.1 Mc Dowell"s MATURED Celebration Rum 100 (एक सौ) कार्टून जिसपर 48x180 ml अंकित है, पर राजसात करने से संबंधित है । जब्ती सूची के अनुसार उक्त वर्णित सामग्री के अलावे रिफाईन्ड सोया ऑयल से संबंधित कागजात एवं जब्त गाड़ी के कागजात के साथ–साथ अन्य कागजात का भी जब्ती सूची में प्रदर्श अंकित है । आरक्षी अधीक्षक गढ़वा से राजसात करने संबंधी प्राप्त पत्र के आलोक में मेसर्स कंकरिया टी कम्पनी 604 स्नेह नगर, इन्दौर (म0प्र0), यू0बी0 डिस्टलरिज लि0 मिरगंज, गोपालगंज, मेक डोवेल्स एण्ड कम्पनी हाथीदह पटना एवं गुड होस्ट लिक्वियर प्राईवेट लि0 पटना–80009 को सूचना निर्गत किया गया जिसके विरूद्ध उन्होने अपना–अपना कारण पृच्छा दाखिल किया है । विपक्षी मेसर्स कंकरिया टी कंपनी की ओर से दाखिल जबाब में कहना है कि जब्त ट्रक नं0 MP-09-D-6177 उन्होने दिनांक 22.05.1992 को श्री इकबाल सिंह	

26/7/19

भुल्लर पिता– श्री गुरूचरण सिंह भुल्लर, निवासी– 21, ट्रांसपोर्ट नगर इन्दौर को मो0 2,11,000/– में विक्री कर आर0टीओ0 कार्यालय इन्दौर में उक्त ट्रक ट्रान्सफर करवाने हेतु निर्धारित फार्म 29 एवं 30 भरकर हस्ताक्षरित कर और अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रेता पक्ष को सौंप दिये थे । उक्ट ट्रक को विक्रय कर पूर्ण राशि प्राप्त कर लेने से हमारे कोई हित अधिकार व उस संबंधी दायित्व विक्रय दिनांक के पश्चात से नहीं है । जवाब के साथ उनके द्वारा उक्त ट्रक के क्रेता इकबाल सिंह भुल्लर, पिता– गुरूचरण सिंह भुल्लर का शपथ पत्र की छाया प्रति अपने फर्म के चार्टड एकाउन्टेंट श्री महावीर चंद जैन की ऑडिट रिपोर्ट, दिनांक 19.10.1993 एवं फर्म की वैलेन्स शीट दिनांक 31.03.1993 की छाया प्रति समर्पित किया गया है।

विपक्षी यू0 बी0 डिस्टलरिज लिमिटेड मिरगंज, गोपालगंज एवं मैकडोवेल एण्ड कम्पनी लिमिटेड हाथीदह, पटना की ओर से कारण पृच्छा दाखिल किया गया है जिसमें उनका कहना है कि आवेदक का उक्त नाम का लिमिटेड कम्पनी है जिसका प्रधान कार्यालय 3, Second Line Beach मद्रास है एवं उसका एक डिस्टलरिज मिरगंज जिला– गोपालंज तथा हाथीदह, जिला– पटना में अवस्थित है । गढ़वा पुलिस द्वारा जब्त किया गया IMFL से आवेदकगण को कोई सरोकार नहीं है । जब्त सामग्री का राजसात किया जा सकता है ।

इसी प्रकार नोटिस प्राप्तकर्त्ता गुड होस्ट लिक्वियर प्राइवेट लिमिटेड करमालीचक पटना की ओर से भी कारण पृच्छा दाखिल किया गया है जिसमें उनका कहना है कि आवेदक के नाम से इंडिया कम्पनी एक्ट 1956 के तहत कम्पनी है, जिसका प्रधान कार्यालय N.P. Centre Dak-Bunglow Road पटना है । गढ़वा पुलिस द्वारा जब्त किया गया लिक्वायर्स से आवेदक का कोई संबंध वो सरोकार नहीं है । आवेदक को जब्त किया गया लिक्वायर पर कोई आपत्ति नही है ।जब्त लिक्वायर का राजसात किया जा सकता है ।

विपक्षीगण के लगातार विगत कई तिथि से अनुपस्थित रहने एवं वाद के प्रति कोई रूचि नहीं रहने तथा वाद को एक लम्बे अर्से से लम्बित रहने के फलस्वरूप सरकारी विज्ञ अधिवक्ता को एक पक्षीय सुना गया । सरकारी विज्ञ अधिवक्ता द्वारा मौखिक समर्पण किया गया कि अभिलेख के साथ संलग्न अवर निरीक्षक गढ़वा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि जब्त ट्रक में पाये गये कागजात के अनुसार ट्रक के मालिक मेसर्स कंकरिया टी कम्पनी, 604 स्नेह नगर इन्दौर (म0 प्र0) है जबकि विपक्षी मेसर्स कंकरिया टी कम्पनी 604 द्वारा दिया गया लिखित जवाब के अनुसार उन्होने वर्ष 1992 में ही उक्त ट्रक का विक्री कर दिया गया है । तर्क में उनका यह भी कथन है कि जब्त ट्रक एवं सामग्री के प्रति विपक्षीगण का कोई रूचि परिलक्षित नहीं हो रही है फलस्वरूप राजसात की कार्रवाई उपयुक्त प्रतीत होता है ।

सरकारी विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, विपक्षी मेसर्स कंक...

नगर इन्दौर (म0प्र0) एवं यू0बी0 डिस्टलरिज लिमिटेड मिरगंज, गोपालगंज, मैक्डोवेल्स एण्ड कम्पनी हाथीदह पटना तथा गुड होस्ट लिक्वियर प्राईवेट लिमिटेड पटना द्वारा समर्पित कारण पृच्छा के साथ–साथ सम्पूर्ण अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जब्त ट्रक एवं सामग्री जिसके लिए गढ़वा थाना में थाना काण्ड संख्या 89/2000 दिनांक 15.05.2000 दर्ज है, के विरूद्ध न तो कोई आपत्ति है और न जब्त ट्रक एवं सामग्री से कोई संबंध वो सरोकार है । विपक्षी मेसर्स कंकरिया टी कम्पनी 604 स्नेह नगर इन्दौर (म0 प्र0) के जवाब से यह स्पष्ट होता है कि जब्त ट्रक नं0 MP-09-D-6177 दिनांक 22.05.1992 को ही श्री इकबाल सिंह भुल्लर, पिता श्री गुरूचरण सिंह भुल्लर निवासी 21 ट्रांस्पोर्ट नगर इन्दौर के साथ विक्री कर दिया गया है जिसके प्रमाण में क्रेता इकबाल सिंह का शपथ पत्र की छाया प्रति उनके द्वारा जवाब के साथ दाखिल किया गया है । अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि जब्त ट्रक के वर्तमान मालिक इकबाल सिंह भुल्लर को निबंधित डाक से नोटिस भी निर्गत किया गया था जो बिना तामिला के वापस हो गया । यहां विचारणीय विन्दु यह है कि इतने लम्बे समय बीत जाने के बावजुद भी न तो वर्तमान ट्रक मालिक इकबाल सिंह भुल्लर और न उनके कोई वारिशान ही उपस्थित होकर अपना दावा पेश किये । इतना ही नही विपक्षी मेसर्स ककरिया टी कम्पनी 604 स्नेह नगर इन्दौर (म0प्र0) या यू0बी0 डिस्टलरिज लिमिटेड मिरगंज गोपालगंज, मैकडोवेल्स एण्ड कम्पनी हाथीदह पटना तथा गुड होस्ट लिक्वियर प्राईवेट लिमिटेड पटना द्वारा भी जब्त ट्रक एवं सामग्री के प्रति कोई संबंध वो सरोकार नही बताया जा रहा है ।

इस प्रकार सम्पूर्ण तथ्यों पर विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर आता हूँ कि जब्त ट्रक एवं सामग्री के प्रति किसी भी व्यक्ति को न तो कोई अभिरूचि है और न आपत्ति ही है । फलतः उपरोक्त वर्णित परिपेक्ष्य में जब्त ट्रक नं0 एम0 पी0 09 डी–6177 एवं जब्त सामग्री यथा– BAGPIPER Whisky 100 (एक सौ) कार्टून 24X375 ml,का Garwew's कम्पनी का GOLD RIBAND Whisky 90 (नब्बे) कार्टून 48X180 ml का, Officer Choice Prestiqe Whisky 190 (एक सौ नब्बे) कार्टून 48X180 ml का, Director Special whisky 193 कार्टून 48X180 ml का, BAG PIPER WHISKY (एक सौ) कार्टून 48x180 ml का एवं N0.1 Mc Dowell"s MATURED Celebration Rum 100 (एक सौ) कार्टून जिसपर 48x180 ml अंकित है, पर राजसात करते हुए थाना प्रभारी को आदेश दिया जाता है कि जब्त सामग्री एवं वाहन के संबंध में वर्तमान Status संबंधी प्रतिवेदन उत्पाद अधीक्षक गढ़वा तथा जिला परिवहन पदाधिकारी गढ़वा को उपलब्ध करायेगें । साथ ही उत्पाद अधीक्षक गढ़वा एवं जिला परिवहन पदाधिकारी गढ़वा को आदेश दिया जाता है कि जब्त सामग्री एवं वाहन के संबंध में थाना प्रभारी गढ़वा से वर्तमान Status संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त कर विधिवत निलामी की कार्रवाई कर

प्राप्त राशि को जिला नजारत में एक पक्ष के अन्दर जमा करावे । आदेश की प्रति थाना प्रभारी गढ़वा,उत्पाद अधीक्षक गढ़वा एवं जिला परिवहन पदाधिकारी गढ़वा को अनुपालनार्थ भेजे ।

लेखापित एवं संशोधित

26/7/19

उपायुक्त –सह–
जिला दण्डाधिकारी, गढ़वा

26/7/19

उपायुक्त –सह–
जिला दण्डाधिकारी, गढ़वा

Digitally signed by SHEKHAR JAMUAR
Date: 2024.06.15 15:41:52 +05:30
Location: 192.168.31.7